

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी:— ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं० 164 / 2022

दायर दिनांक: 12.12.2022

उनवान

1. सुनीता मीणा आयु 31 वर्ष पत्नी जसराज जाति मीणा निवासी काचरी तहसील अटरू जिला बारां राज०

वादीया

बनाम

1. रघुवीर आयु 55 वर्ष पुत्र बिरधीलाल जाति मीणा
2. रामपाल पुत्र बिरधीलाल जाति मीणा
3. सुल्तान बाई पत्नी बिरधीलाल जाति मीणा निवासीगण मेरमाचाह तहसील अटरू जिला बारां राज०
4. कैलाश पुत्री रघुनाथ जाति मीणा
5. छोटूलाल पुत्र रघुनाथ जाति मीणा
6. पुष्पदयाल पुत्र रघुनाथ जाति मीणा
7. द्वारका बाई पत्नि सूरजमल जाति मीणा
8. महेन्द्र पुत्र सूरजमल जाति मीणा
9. लोकेश पुत्र सूरजमल जाति मीणा
10. सुनीता पुत्री सूरजमल जाति मीणा
11. सावित्री पुत्री सूरजमल जाति मीणा निवासीगण मेरमाचाह तहसील अटरू जिला बारां राज०
12. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार तहसील अटरू जिला बारा (राज०)।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 183, 188 आर. टी. एक्ट.

उपस्थिति :-

वादीगण :- विद्वान अभिभाषक श्री हरिश गालव

प्रतिवादी :-



वादीया ने यह दावा अर्न्तगत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम एवं माल मेरमाचाह तहसील अटरू जिला बारां मे खाता संख्या 91 के खसरा न 164 का रकबा 0.35 हैक्ट0, खसरा न0 206 का रकबा 0.05 हैक्ट0, खसरा न0 210 का रकबा 0.22 हैक्ट0, खसरा न0 223 का रकबा 0.39 हैक्ट0, खसरा न0 224 का रकबा 0.05 हैक्ट0, खसरा न0 227 का रकबा 0.27 हैक्ट0, खसरा न0 231 का रकबा 0.39 हैक्ट0, खसरा न0 236 का रकबा 0.13 हैक्ट0, खसरा न0 258 का रकबा 0.30 हैक्ट0, खसरा न0 262 का रकबा 0.34 हैक्ट0, खसरा न0 263 का रकबा 0.01 हैक्ट0, खसरा न0 269 का रकबा 0.51 हैक्ट0, खसरा न0 314 का रकबा 0.56 हैक्ट0, खसरा न0 328 का रकबा 0.27 हैक्ट0, खसरा न0 521 का रकबा 0.02 हैक्ट0, खसरा न0 524 का रकबा 0.07 हैक्ट0, खसरा न0 547 का रकबा 0.19 हैक्ट0, खसरा न0 548 का रकबा 0.07 हैक्ट0, खसरा न0 549 का रकबा 0.09 हैक्ट0, खसरा न0 554 का रकबा 3.45 हैक्ट0, खसरा न0 559 का रकबा 0.04 हैक्ट0, खसरा न0 922 का रकबा 1.65 हैक्ट0 कुल कित्ता 22 रकबा 9.42 हैक्ट0 आराजी के संबंध में निर्णय दिनांक 12.12.2024 द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी कर हिस्से व कब्जे अनुसार खाता विभाजन किया जाकर वादिया का हिस्सा 7/135 यानि 0.48 है0 भूमि को पृथक से खाते दर्ज कर तहसीलदार अटरू द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर चाहा गया था। उक्त निर्णय की पालना में तहसीलदार अटरू द्वारा पत्र क्रमांक/राजस्व/2024/124 दिनांक 13.01.2025 से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया गया। जिससे अभिभाषक वादिया सहमत है।

अतः निर्णय व डिक्री दिनांक 12.12.2024 अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विवादित आराजी ग्राम एवं माल मेरमाचाह तहसील अटरू जिला बारां मे खाता संख्या 91 कुल कित्ता 22 का कुल रकबा 9.42 हैक्ट0 आराजी का मुताबिक प्राथमिक डिक्री निम्न प्रकार खाता विभाजन किया जाता है:-

नया खाता-1

1. सुनीता पत्नी जसराज जाति मीणा निवासी काचरी

| क्र0सं0 | ख0नं0 | रकबा | किस्म | लगान | दिशा |
|--------------|-------|----------|-------|------|-------|
| 1 | 922 | 0.48 है0 | माल-2 | 4.80 | उत्तर |
| कुल कित्ता 1 | | 0.48 है0 | माल-2 | 4.80 | उत्तर |

नया खाता-2

1. कैलाश पुत्री रघुनाथ हिस्सा 27 / 128
2. छोटूलाल पुत्र रघुनाथ हिस्सा 27 / 128
3. द्वारकाबाई पत्नि स्व० सूरजमल हिस्सा 27 / 640
4. पुष्पदयाल पुत्र रघुनाथ हिस्सा 27 / 128
5. महेन्द्र पुत्र सुरजमल हिस्सा 27 / 640
6. रघुवीर पुत्र बिरधीलाल हिस्सा 1 / 64
7. रामपाल पुत्र बिरधीलाल हिस्सा 9 / 128
8. लोकेश पुत्र सूरजमल हिस्सा 27 / 640
9. सुनीता पुत्री सूरजमल हिस्सा 27 / 640
10. सुल्तान बाई पत्नी स्व० बिरधीलाल हिस्सा 9 / 128
11. सावित्री पुत्री सूरजमल हिस्सा 27 / 640

| क्र०सं० | ख०नं० | रकबा | किस्म | लगान | दिशा |
|-------------|-------|----------|--------------|-------|--------|
| 1 | 164 | 0.35 | बीड | 1.93 | |
| 2 | 206 | 0.05 | चाही-1 | 0.74 | |
| 3 | 210 | 0.22 | चाही-1 | 3.33 | |
| 4 | 223 | 0.39 | चाही-2 | 2.56 | |
| 5 | 224 | 0.05 | गै०मु०चाह | — | |
| 6 | 227 | 0.27 | जाव-2 | 2.56 | |
| 7 | 231 | 0.39 | माल -1 | 4.68 | |
| 8 | 236 | 0.13 | माल -1 | 1.56 | |
| 9 | 258 | 0.30 | जाव -2 | 3.84 | |
| 10 | 262 | 0.34 | माल -1 | 4.08 | |
| 11 | 263 | 0.01 | माल -1 | 0.12 | |
| 12 | 269 | 0.51 | माल -1 | 6.12 | |
| 13 | 314 | 0.56 | माल -1 | 6.72 | |
| 14 | 328 | 0.27 | माल -1 | 3.24 | |
| 15 | 521 | 0.02 | बारानी उत्तम | 0.32 | |
| 16 | 524 | 0.07 | बारानी उत्तम | 1.12 | |
| 17 | 547 | 0.19 | बारानी उत्तम | 3.04 | |
| 18 | 548 | 0.07 | बारानी उत्तम | 1.12 | |
| 19 | 549 | 0.09 | बारानी उत्तम | 1.44 | |
| 20 | 554 | 3.45 | माल -1 | 41.40 | |
| 21 | 559 | 0.04 | माल -1 | 0.48 | |
| 22 | 922 | 1.17 | माल -2 | 11.70 | दक्षिण |
| कुल किता 22 | | 8.94 है० | | | |

रहन का नोट संबंधित खातेदार के यथावत रखा जावें। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। फाइनल डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्दाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री ओम प्रकाश चन्देलिया (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 164/2022

दायर दिनांक: 12.12.2022

उनवान

1. सुनीता मीणा आयु 31 वर्ष पत्नी जसराज जाति मीणा निवासी काचरी तहसील अटरू जिला बारां राज0

वादीया

बनाम

1. रघुवीर आयु 55 वर्ष पुत्र बिरधीलाल जाति मीणा
2. रामपाल पुत्र बिरधीलाल जाति मीणा
3. सुल्तान बाई पत्नी बिरधीलाल जाति मीणा निवासीगण मेरमाचाह तहसील अटरू जिला बारां राज0
4. कैलाश पुत्री रघुनाथ जाति मीणा
5. छोटूलाल पुत्र रघुनाथ जाति मीणा
6. पुष्पदयाल पुत्र रघुनाथ जाति मीणा
7. द्वारका बाई पत्नि सूरजमल जाति मीणा
8. महेन्द्र पुत्र सूरजमल जाति मीणा
9. लोकाेश पुत्र सूरजमल जाति मीणा
10. सुनीता पुत्री सूरजमल जाति मीणा
11. सावित्रि पुत्री सूरजमल जाति मीणा निवासीगण मेरमाचाह तहसील अटरू जिला बारां राज0
12. राजस्थान सरकार जर्गे तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारा (राज0)।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 183, 188 आर. टी. एक्ट.

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई रूबरू.....

बहाजिर :-

वादीया :- विद्वान अभिभाषक श्री हरिश गालव

प्रतिवादीगण :-

मिनजानित मुदई रूबरूX.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। निर्णय व डिक्री दिनांक 12.12.2024 अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विवादित आराजी ग्राम एवं माल मेरमाचाह तहसील अटरू जिला बारां मे खाता संख्या 91 कुल किता 22 का कुल रकबा 9.42 हैक्ट0 आराजी का मुताबिक प्राथमिक डिक्री निम्न प्रकार खाता विभाजन किया जाता है:-

नया खाता-1

1. सुनीता पत्नी जसराज जाति मीणा निवासी काचरी

| क0सं0 | ख0नं0 | रकबा | किस्म | लगान | दिशा |
|------------|-------|----------|-------|------|-------|
| 1 | 922 | 0.48 है0 | माल-2 | 4.80 | उत्तर |
| कुल किता 1 | | 0.48 है0 | माल-2 | 4.80 | उत्तर |

नया खाता-2

1. कैलाश पुत्री रघुनाथ हिस्सा 27 / 128
2. छोटूलाल पुत्र रघुनाथ हिस्सा 27 / 128
3. द्वारकाबाई पत्नि स्व० सूरजमल हिस्सा 27 / 640
4. पुष्पदयाल पुत्र रघुनाथ हिस्सा 27 / 128
5. महेन्द्र पुत्र सुरजमल हिस्सा 27 / 640
6. रघुवीर पुत्र बिरधीलाल हिस्सा 1 / 64
7. रामपाल पुत्र बिरधीलाल हिस्सा 9 / 128
8. लोकेश पुत्र सूरजमल हिस्सा 27 / 640
9. सुनीता पुत्री सूरजमल हिस्सा 27 / 640
10. सुल्तान बाई पत्नी स्व० बिरधीलाल हिस्सा 9 / 128
11. सावित्री पुत्री सूरजमल हिस्सा 27 / 640

| क्र०सं० | ख०नं० | रकबा | किस्म | लगान | दिशा |
|-------------|-------|----------|--------------|-------|--------|
| 1 | 164 | 0.35 | बीड | 1.93 | |
| 2 | 206 | 0.05 | चाही-1 | 0.74 | |
| 3 | 210 | 0.22 | चाही-1 | 3.33 | |
| 4 | 223 | 0.39 | चाही-2 | 2.56 | |
| 5 | 224 | 0.05 | गै०मु०चाह | - | |
| 6 | 227 | 0.27 | जाव-2 | 2.56 | |
| 7 | 231 | 0.39 | माल -1 | 4.68 | |
| 8 | 236 | 0.13 | माल -1 | 1.56 | |
| 9 | 258 | 0.30 | जाव -2 | 3.84 | |
| 10 | 262 | 0.34 | माल -1 | 4.08 | |
| 11 | 263 | 0.01 | माल -1 | 0.12 | |
| 12 | 269 | 0.51 | माल -1 | 6.12 | |
| 13 | 314 | 0.56 | माल -1 | 6.72 | |
| 14 | 328 | 0.27 | माल -1 | 3.24 | |
| 15 | 521 | 0.02 | बारानी उत्तम | 0.32 | |
| 16 | 524 | 0.07 | बारानी उत्तम | 1.12 | |
| 17 | 547 | 0.19 | बारानी उत्तम | 3.04 | |
| 18 | 548 | 0.07 | बारानी उत्तम | 1.12 | |
| 19 | 549 | 0.09 | बारानी उत्तम | 1.44 | |
| 20 | 554 | 3.45 | माल -1 | 41.40 | |
| 21 | 559 | 0.04 | माल -1 | 0.48 | |
| 22 | 922 | 1.17 | माल -2 | 11.70 | दक्षिण |
| कुल किता 22 | | 8.94 है० | | | |

रहन का नोट संबंधित खातेदार के यथावत रखा जावे। तहसीलदार अट्रू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां
(राज0)

निजX..... मुबालिकX..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारहX.....
..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकX..... अदा करूंगा।
मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 17.02.2025 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां
(राज0)

| मुदई | | मुदालयह | |
|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| स्टाम्प अर्जी दावा | खर्चा गवाहान | स्टाम्प अर्जी दावा | फीस कमिश्नर |
| स्टाम्प वकालत नाम | फीस कमिश्नर | स्टाम्प अर्जी | बाबत् इजराय हुकमनाम |
| स्टाम्प वजह सबूत | बाबत् इजराय हुकमनाम | महन्ताना वकील | मुत0 |
| महन्ताना वकील | मुत0 | खर्चा गवाहान | |
| मिजान | | मिजान | |

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां
(राज0)